न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : डा0 मधु खरे
सदस्य

प्रकरण कमांक निगरानी 386–तीन/2008 विरूद्ध आदेश दिनांक 16–1–2008 पारित द्वारा अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा प्रकरण कमांक 819/अपील/2006–08.

सुशील कुमार तनय रामेश्वर प्रसाद पटेल
निवासी ग्राम मिरगौती तहसील रामनगर,
जिला सतना म0प्र0

———आवेदक

विरूद्ध

1. लक्ष्मण प्रसाद तनय रामेश्वर प्रसाद पटेल
   निवासी ग्राम मिरगौती तहसील रामनगर,
   जिला सतना म0प्र0
2. संतोष कुमार तनय लक्ष्मण प्रसाद पटेल
   निवासी ग्राम मिरगौती, तहसील न्यू रामनगर,
   जिला सतना म0प्र0
3. जगदीश प्रसाद तनय रामेश्वर प्रसाद पटेल
   निवासी ग्राम मिरगौती, तहसील न्यू रामनगर,
   जिला सतना म0प्र0

———अनावेदकगण

– – – – – –

श्री के0के0 द्विवेदी, अभिभाषक, आवेदक
श्री मुकेश भार्गव, अभिभाषक, अनावेदक कं 1 एवं 2
श्री ए0के0 अग्रवाल, अभिभाषक, अनावेदक कं 3

– – – – – –

:: आदेश पारित ::
(दिनांक 26 फरवरी 2015)

– – – – –

आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा प्रकरण कमांक 819/अपील/2006–08 में पारित आदेश दिनांक 16–1–2008 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहित 1959 (जिसे आगे संक्षिप्त में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि आवेदक द्वारा तहसील न्यायालय के समक्ष म0प्र0 भू–राजस्व संहिता की धारा 178/110 के अर्न्तगत ग्राम मिरगौती की आराजी खसरा कमांक 207, 208, 236, 240, 241, 189, 190, 88 एवं 232 के खाता विभाजन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिस तहसीलदार द्वारा 19–1–07 को बटवारा आदेश पारित किया गया। तहसीलदार के उक्त आदेश के विरूद्ध अनावेदक कमांक 1 एवं 2 द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील पेश की गई। अनुविभागीय अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 10–5–07 के द्वारा अपील निरस्त की गई। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अनावेदक कमांक 1 एवं 2 ने अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत की। अपर आयुक्त ने अपने आदेश दिनांक 16–1–08 के द्वारा अपील स्वीकार करते हुये दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये। अपर आायुक्त के उक्त आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक अभिभाषक ने तर्क दिया कि तहसीलदार द्वारा आवेदक एवं अनावेदकों को सुनवाई का अवसर देने के बाद विधिवत बटवारा आदेश पारित किया है जिसमें सभी को 1/3 हिस्सा प्राप्त हुआ है। तहसीलदार के उक्त आदेश में किसी प्रकार की अवैधाानिकता नहीं है। तहसीलदार के आदेश को अनुविभागीय अधिकारी द्वारा भी यथावत रखा गया है। आवेदक अभिभाषक द्वारा यह भी तर्क दिया कि दोनों पक्षों द्वारा तहसीलदार के समक्ष अपने अपने हिस्से पर काबिज होने से सहमति के आधार पर बटवारा स्वीकृत किया गया था, जिसे अपर आयुक्त ने निरस्त करने में त्रुटि की है। उनके द्वारा यह भी तर्क दिया कि भूमि सर्वे कमांक 189, 190 एवं 232 के संबंध में आवेदक द्वारा व्यवहार न्यायालय में वाद किया था जिसका प्रकरण कमांक 77ए/2009 है जो आदेश दिनांक 13–7–2012 के द्वारा आवेदक के पक्ष में हुआ । उक्त व्यवहार वाद के विरूद्ध अनावेदक कमांक 1 एवं 2 द्वारा अपर

जिला द्वारा अपर जिला न्यायाधीश अमरपाटन के समक्ष अपील कमांक 46ए/2012 पेश की जो आदेश दिनांक 28—11—13 द्वारा निरस्त कर दी गई है। अतः अब भूमि पर स्वामित्व के सम्बन्ध में व्यवहार न्यायालय के आदेश के क्रम में कार्यवाही होना आवश्यक है, इसलिए अपर आयुक्त का निर्णय इसके विपरीत होने से निरस्त करने योग्य है, अतः निगरानी स्वीकार की जाये।

4/ अनावेदक कं 1 एवं 2 के विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया अनावेदकों द्वारा तहसीलदार के समक्ष उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत की थी, भूमि सर्वे कमांक 189, 190 एवं 232 उनकी स्वअर्जित भूमि होने से आवेदक उक्त भूमि का सहखातेदार नहीं है, परन्तु तहसीलदार आपत्ति खारिज कर बटवारा आदेश देने में त्रुटि की। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा भी इस वैधानिक बिन्दु पर विचार नहीं किया कि स्वअर्जित भूमि का बटवारा नहीं किया जा सकता है। अनावेदक अभिभाषक द्वारा यह भी तर्क दिया कि अपर आयुक्त ने अपने आदेश में यह माना है कि सर्वे कमांक 189, 190 एवं 232 की भूमि अनावेदक कमांक 1 एवं 2 द्वारा स्वयं आय से क्रय की गई जिसपर आवेदक का हक नहीं है अतः उक्त भूमियों के बटवारे का अधिकार आवेदक को नहीं है। अतः निगरानी निरस्त की जाये।

5/ अनावेदक कं 3 के विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि व्यवहार न्यायालय से भूमि के संबंध में आदेश हो गये हैं और व्यवहार न्यायालय के आदेश के पालन में कार्यवाही की जाना है।

6/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया। आवेदक अभिभाषक द्वारा सूची दस्तावेज के साथ उनके द्वारा व्यवहार न्यायालय वर्ग—2 अमरपाटन में प्रस्तुत व्यवहार वाद कमांक 77 ए/2009 में पारित आदेश दिनांक 13—7—2012 वादी को

स्वत्वधिकारी माना तथा उक्त आदेश के विरूद्ध अनावेदक कमांक 1 एवं 2 की ओर से अपर जिला न्यायाधीश अमरपाटन के समक्ष अपील कमांक 46ए/12 में पारित आदेश दिनांक 28—11—13 की सत्यापित प्रति पेश की, जिसके अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलीय व्यवहार न्यायालय द्वारा उसे सर्वे कमांक 189, 190 एवं 232 को अनावेदक कमांक 1 एवं 2 की स्वअर्जित भूमि न मानते हुये पैत्रिक भूमि माना है एवं व्यवहार न्यायालय के आदेश को अपील प्रकरण में अपर जिला व्यवहार न्यायाधीश द्वारा भी यथावत रखा गया है। अतः आवेदक अभिभाषक का यह तर्क स्वीकार योग्य है कि भूमि पर स्वामित्व के सम्बन्ध में उपरोक्त व्यवहार न्यायालयों के आदेशों के अनुरूप राजस्व न्यायालय द्वारा कार्यवाही की जानी चाहिए।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाती है। अपर आयुक्त रीवा का आदेश दिनांक 16—1—08 निरस्त किया जाता है।

(डा0 मधु खरे)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर